an>

Title: Regarding setting up of an independent ministry for the welfare of Other Backward Classes.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : माननीय सभापति जी, मैं इस विÂ◌ाय को पहले भी सदन में रख चुका हूं और आज फिर रख रहा हूं। देश में भारतीय संविधान धारा 340 के अनुसार पिछड़े वर्ग को आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक अधिकार हैं। मंडल आयोग के अनुसार ओबीसी 27 प्रतिशत का हकदार है। देश में 27 प्रतिशत आरक्षण होने के बावजूद भी ओबीसी के लिए 19 फीसदी आरक्षण देने का सरकारी रिकॉर्ड है। इससे ओबीसी समाज को पूरी तरह आरक्षण का लाभ नहीं देने की बात सामने आई है। इन पर शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रवेश, डेमिसाईल, क्रीमीलेयर आदि प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में पर्याप्त आरक्षण एवं सुविधा ने देने के कारण अन्याय हो रहा है। गत छः वÂ◌ाऩ से महाराÂट्र में विद्यार्थियों को शिक्षावृत्ति अनुदान राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके परिणामस्वरूप कई विद्यार्थियों को शैक्षणिक क्षेत्र में नुकसान हुआ है, भविÂय खराब हुआ है। सरकारी नौकरी में पदोन्नति संबंधी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। महाराÂट्र में गड़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी समाज को सिर्फ छः परसेंट आरक्षण दिया जाता है। इस तरह देश के कई राज्यों ओबीसी समाज पर अन्याय हो रहा है। वÂ◌ाऩ 1921 से अभी तक ओबीसी समाज की जातीय जनगणना नहीं हुई है।

2011 में देश में जातीय जनगणना हुई थी, सरकार को इसे बारे में घोÂ◌ाणा करनी चाहिए। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि देश में ओबीसी समाज के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना की जानी चाहिए।

माननीय सभापति : श्री प्रहलाद सिंह पटेल को श्री नाना पटोले द्वारा उठाए गए विÂ◌ाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।